



LGBTQ+

ll



LGBTQ+


LGBTQ+ लोगों की एक व्यापक श्रेणी को संदर्भित करता है, जिसमें वे लोग शामिल हैं, जिन्हें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और कवीर के रूप में जाना जाता है। प्रयुक्त शब्दावली में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों के आधार पर व्यापक रूप से भिन्नता है।

LGBTQ+ के खिलाफ भेदभाव

- लैंगिक अभिविन्यास के आधार पर
- लैंगिक पहचान के आधार पर
- लैंगिक अभिव्यक्ति के आधार पर
- लैंगिक विशेषताओं के आधार पर

LGBTQ+ अधिकारों की वैश्विक स्थिति

- सूचकांक मापता है कि LGBTQ+ और नॉन-बाइनरी व्यक्तियों को किस हद तक विषमलैंगिक व सिंजेंडर लोगों के समान अधिकार प्राप्त हैं। यह समलैंगिक संबंधों और विवाह की वैधता जैसी **18** अलग-अलग नीतियों पर विचार करता है। सूचकांक में उच्च मान का अर्थ है अधिक अधिकार, जबकि नकारात्मक मान प्रतिगामी नीतियों का सूचक है।




भारत में LGBTQ+ अधिकारों का इतिहास

- 1992:** समलैंगिक व्यक्तियों के अधिकारों की मांग को लेकर पहली बार विरोध प्रदर्शन
- 1994:** एक NGO ने IPC की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी जिसे वर्ष 2001 में खारिज कर दिया गया
- 1999:** भारत की पहली प्राइड परेड (दक्षिण एशिया की भी पहली)
- 2009:** नाड़ी फाउंडेशन बनाम NCT दिल्ली सरकार मामला (दिल्ली उच्च न्यायालय में) - सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध को अपराध मानना निजता के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है
- 2013:** सुरेश कुमार कौशल बनाम नाड़ी फाउंडेशन- सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया

समलैंगिक विवाह की वर्तमान स्थिति

- 2023:** सुप्रियो बनाम भारत संघ- सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने से इनकार कर दिया साथ ही समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार मानने से इनकार कर दिया।

और पढ़ें: [LGBTQ+](#)



प्राइड मंथ: जून

11 अक्टूबर: नेशनल कॉमिंग आउट डे

